

13201

5700/4



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 478884

★ ॐ ★



भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक - क्रमांक 329 यानि 22,00,000/-
 रूपया प्रति हेक्टेयर (पेज नं० 14)
 स्टाम्प का कुल योग - 78,600/-
 दस्तावेज का प्रकार - बैनामा
 जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित
 मूल्यांकन सूची के अनुरार मूल्य } - 11,22,000/-

KY
R

निब सशस्त्र
 (Signature)

नि. प्र. न. सी. य. नं. 329
 (Signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

955860

(2)

विक्रय मूल्य	- 7,50,000/-
मौजा	- भोजला
ब्लाक	- बड़ागोंव
सम्पत्ति का प्रकार	- कृषिकीय
मापन की इकाई	- हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	- 0.510 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति	- शौसी से उन्नाव बालाजी जाने वाले लिंक मार्ग से लगी है।

बिठल शर्मा

शुभराम शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

955861

(3)

पेड़ों का मूल्यांकन

- कोई पेड़ नहीं है

बोरिंग/कुआँ/अन्य

- कोई कुआँ नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या

- तीन

द्वितीय पक्ष की संख्या

- एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-

श्री विजय राम व श्री कृपाराम पुत्रगण स्व०
श्री रघुवर व श्रीमती धनकुंवर पत्नी स्व० श्री
रघुवर निवासीगण- ग्राम भोजला, परगना व
जिला झाँसी।

 विक्रेता २५



कृपाराम ४/६६

श्री विजय राम २५







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 224864

(4)

नाम व पता क्षेत्रा द्वितीय पक्ष—

व्हीएसएस हाऊसिंग प्रा०लि० रजिस्टर्ड कार्यालय
द्वितीयतल 203, मिलेनियम प्लाजा यूनिवर्सिटी
रोड गोविन्दपुरी, थाटीपुर ग्वालियर (म०प्र०)
(PAN-AACCV-7129-G) द्वारा डायरेक्टर श्री
विजय कुमार सरावगी पुत्र स्व० श्री दामोदर
दास सरावगी निवासी— जानकीपुरम कॉलोनी,
सिविल लाइन, शहर व जिला शॉसी।

बिलय ३५

बिलय ३५

बिलय ३५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 224865

(5)

सम्पत्ति का विवरण - अर्द्ध नगरीय क्षेत्र की आराजी गूमिधरी वाले मौजा भोजला ब्लाक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसकी खाता सं० 00333 आराजी नं० 879 रकबा 0.510 हे० पूर्ण क्य किया गया है। विक्रित आराजी झाँसी से उन्नाव वाला जो जाने वाले लिंक मार्ग से लगी है तथा आवादी से 200 मीटर की त्रिज्या के अन्दर स्थित है। दरतावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर रंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषिकीय भूमि है जो सिंचित है, वयशुदा आराजी का नया


बिजय राम


बिजय राम

नि.प्र. की.जी. धर कुंज






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 354966

(6)

लगान 8 रूपया 39 पीसे सालाना है, आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम समा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है, विक्रित आराजी विक्रेतागण की पत्रिक सम्पत्ति है। दस्तावेज हाजा में ए0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0 -5-2756/11-2008-दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार कम्पनी द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 11,22,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।
विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

बिठराम

बृजराज पाठ

नि.प.दी.पाठ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 354965

(7)

विक्रय मूल्य - 7,50,000/- सात लाख पचास हजार रुपया जिसमें मु0
2,50,000/- रुपया जरिये चेक नं0 895170 पंजाब नेशनल
बैंक, झॉंसी दिनांक 23.08.2010ई0 व मु0 2,50,000/-
रुपया जरिये चेक नं0 895171 पंजाब नेशनल बैंक, झॉंसी
दिनांक 23.08.2010ई0 व मु0 2,50,000/- रुपया जरिये
चेक नं0 895172 पंजाब नेशनल बैंक, झॉंसी दिनांक 23.08.
2010ई0 पूर्व प्राप्त कर लिया है।

विजय राम

श्रीवाराणसी

लिफ्ट बीबी अग्रवाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 354964

(8)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित } 11,22,000/- ग्यारह लाख बाईस
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } हजार रुपया से अधिक नहीं हैं।

यह कि हम विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हैं जो कही वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व बरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचारणीय है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है, चूंकि हम विक्रेतागण को धरु कार्य हेतु रुपयों की जरूरत है। अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी बकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करते हैं, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को बखूबी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में खय काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से

बिज धरा म

शुभराज पांडे

नित्यदीप पन्तुन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 955063

(9)

हमारा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावे वय हिवा रहिन करे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे। आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमारा या हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा के देनदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण रहेंगे। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वकत जरूरत पर काम आवें। विक्रित आराजी में उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है।

जिनयराप्र



शुभराम पांडे



शुभराम पांडे








उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AK 170855


(10)


दिनांक : 23.08.2010ई०

प्रारूपकर्ता : सुधीर सिंह, बसीका नवीस, तहसील, झाँसी

बिना पराम     

गवाह (1)  श्री रामनाथ पुरा बड़ा गविगेट बाहर झाँसी

गवाह (2)  श्री लाल लाल हाडु
पारा बसीका ताल गवाह झाँसी

सुधीर सिंह
बसीका नवीस
तहसील व जिला-झाँसी
अनुपति संख्या-29
दिनांक 23-8-2010। एक प्रमाण
वी गई फीस रु. 

आज दिनांक 23/08/2010 को

यही सं 1 जिल्द सं 4224

पृष्ठ सं 39 से 64 पर क्रमांक 5766

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रभारी उप निबन्धक

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी


23/8/2010



जन्मप्रमाण पत्र की प्रतिलिपि

वास्तव्य - 1162/2009-10

दिनांक - 16/11/10


पेशाना
16/12/10